

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

ख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>नाम (खिलास) बनाम ..... कहेय</p> <p>मु.नं.- 15/23                      किस्म - 7.1</p>	
	<p>22-11-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विधान- सभा उपचुनाव-2024 के निर्वाचन कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय दौसा। पत्रावली अतः निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.12.24 को पेश हो।</p> <p>20.12.24 पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को 9-2 आवाज (लगाव) गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय सेतलकी में लॉकिंग है। प्राची को 9-2 निर्देश देने के बावजूद निर्देशों की अटेंशन की जा रही है। इसलिए पत्रावली आदेश 9 नियम 3 CPC (जहां दोनों में से कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता है वहां वाद का खारिज किया जाना) के तहत प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए पत्रकारान की अडम 8 धाजदी व अडम पैरकी में खारिज की जाती है। साथ ही प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI 1955 में दिनांक 21.03.2023 को जारी अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली कुंमल शुमार होकर साखिल स्थान हो।</p>	
	<p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>मण्डावर (दौसा)</b></p>	